

Since inspection is carried out only based on complaints according to the attached GO dated 19/10/2012 (which can also be accessed at <http://uplabour.gov.in/MediaGallery/go%20no%201810%20dt%2019-09-2012.pdf>), the question of differentiating compliance inspection requirements based on risk profile of industries is not applicable in the state.

Kind Attn Shri

विशेष सूचना

संख्या 2776/36-3-2003-11 (सां)/08

प्रेमक,

मीरा यादव, प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र०शासन
2. अमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

Sr GCA
02/1

श्रम अनुभाग - 3

लखनऊ दिनांक 29 अगस्त, 2003

विषय : इंसपेक्टर राज का समापन

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार प्रवेश के त्वरित औद्योगिकीकरण के लिए हर स्तर पर निवेशोन्मुखी एवं उद्योगपरक वातावरण सृजित करने के लिए कटिबद्ध है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के उद्योगों को अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाये, ताकि वे अपनी ऊर्जा का प्रयोग उत्पादक कार्यों के लिए कर सकें।

2. इस सम्बन्ध में समयक विचरोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :-

“इंसपेक्टर राज तत्कालिक प्रभाव से मुअत्तल किया जाता है।”

अमायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारीगण उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएँगे।

(मीरा यादव)
प्रमुख सचिव

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

सं० 607/15-45/2000-03/जे०ए०,

दिनांक : 20.9.2003

प्रतिलिपि समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर एवं सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा सहायक अमायुक्त, मुजफ्फरनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा एक प्रति गार्ड फाइल पर रखें।

(चन्द्रपाल सिंह)

अपर जिला मजिस्ट्रेट 'प्रशासन'
मुजफ्फरनगर

कार्यालय, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरनगर

पत्रांक 5149/जि०उ०के०/मु०नगर/2003-04

दिनांक : 11.11.03

प्रतिलिपि श्री मोहित कुमार जैन, अध्यक्ष आई.आई.ए., रेलवे रोड, शामली को दिनांक 31.10.03 में आयोजित जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में मांगे गये शासनादेश के क्रम में पत्रक की प्रति, सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक

जिला उद्योग केन्द्र

मुजफ्फरनगर

आज दिनांक 15-11-03 को उपरोक्त पत्र प्राप्त हुआ है। इसकी सदस्यगण पत्र को ध्यान से अवलोकन का अपनी प्रमुख फाइल में लगा लें, यदि इसके उपरान्त भी कोई इंसपेक्टर परेशान करे तो तुरन्त पदाधिकारियों से सम्पर्क करें।

मोहित कुमार जैन, सचिव, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सैक्टर-शामली द्वारा अमानवीय सदस्यों की सेवा

(3)

संख्या-18/0 /36-03-12

प्रेषक,
शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव
उ० प्र० शासन।

सेवा में,
✓ श्रम आयुक्त,
उ० प्र०, कानपुर।

श्रम अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 19 अक्टूबर, 2012

विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक इकाईयों में श्रम कानूनों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

औद्योगिक विभाग अनुभाग-6 के शासनादेश सं० सी०एस० 1439, दिनांक 26 अक्टूबर, 1998 में यह प्राविधानित है कि प्रदेश की किसी भी औद्योगिक इकाई का निरीक्षण करने के पूर्व सम्बन्धित अधिकारी/निरीक्षक सम्बन्धित जिला अधिकारी अथवा मण्डलायुक्त से लिखित अनुमोदन प्राप्त करेंगे। जनपद स्तरीय अधिकारी/निरीक्षक यह अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त करेंगे, जबकि क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी/निरीक्षक मण्डलायुक्त से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

amp
25/10/2012

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर 3.1.1-3 में यह व्यवस्था की गयी है कि "शिकायत के आधार पर जाँच जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात ही की जायेगी।"

उक्त निवेश नीति के क्रियान्वयन हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाईयों की शिकायतों के आधार पर जाँच जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की पूर्व अनुमति से ही की जायेगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव

(2)

संख्या- 1310 (17/36-3-2012, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- निदेशक, उद्योग कंधु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त)।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त)।
- 6- निदेशक कारखाना/निदेशक ब्वायलर्स एवं समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त (द्वारा श्रमायुक्त)।
- 7- समस्त शीर्ष औद्योगिक संगठन, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त)।
- 8- समस्त शीर्ष श्रमिक संगठन, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त)।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(मुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा)
अनु सचिव।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी०टी० रोड, कानपुर।

पत्र संख्या- 5326-5425 / प्रजाप-12

दिनांक 25-10-2012

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्तों को इस आशय से प्रेषित है कि वे अपने क्षेत्रों में समस्त प्रमुख औद्योगिक/श्रम संगठनों को भी इसकी प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। [द्वारा क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त]
3. समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश। [द्वारा क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त]
4. निदेशक कारखाना/निदेशक ब्वायलर्स एवं समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(दीनेशचंद्र मिश्रा)

अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश
कानपुर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।